भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA,
सीप्ज़- सेज़ प्राधिकरण/ SEEPZ SEZ AUTHORITY,
वणिज्य और उद्योग मंत्रालय, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400 096. ANDHERI (EAST), MUMBAI – 400096
Tel: 022-28294770/28294750, Fax: 022-28291754
E-mail: dcseepz-mah@nic.in, Website: www.seepz.gov.in

******

सार्वजनिक सूचना संख्या 04 दिनांक 30.01.2018

सीप्ज़-सेज़/संपदा/ई-वेस्ट/पार्ट फाइल/वॉल्यू-V/ 2065/2187/88 1891/90/91 दिनांक 30.01.2018

विषयः ई-अपशिष्ट/लीड एसिड बैटरी/सैप्टिक टैंक के स्लज़ / गटर वेस्ट में नॉन टॉक्सिक हेवी मेटल के निपटान हेतु एजेन्सियों का नामिकायन ।

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27.10.2017 के परिपत्र संख्या 17 को अधिक्रांत करते हुए निम्नलिखित अनुदेश जारी किए जाते हैं:-

महाराष्ट्र, गोवा राज्य तथा दमण, दीव तथा नगर हवेली संघ राज्य में स्थित सेज़ यूनिट सीप्ज-सेज़ प्राधिकरण के साथ नामिकागत (इम्पैन्ल्ड) एजेन्सियों के माध्यम से ई-अपशिष्ट / लीड एसिड बैटरी / सैप्टिक टैंक के स्लज़ / गटर वेस्ट में नॉन टॉक्सिक हेवी मेटल का निपटान कर सकते हैं । नामिकागत एजेन्सियों के नाम सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अधिसूचित किए जाएंगे जिसकी प्रति सभी संबंधितों को सूचना के लिए वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी । सेज़ यूनिट किसी भी नामिकागत वेंडर को उपर्युक्त वर्णित आइटम देने के लिए स्वतंत्र होंगे तथा वे अपनी निपटान नीति के निबंधन एवं शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए भी स्वतंत्र होंगे जब तक कि इनसे सेज़ अधिनियम / नियम अथवा सीमाशुल्क अधिनियम / नियम / लागू अन्य किसी विधिक प्रावधानों का उल्लंघन न होता हो ।

उपर्युक्त अपशिष्टों का निपटान संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाना आवश्यक है । अतएव, इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण के साथ नामिकागत एजेन्सियों को ही ज़ोन से उपर्युक्त अपशिष्टों का निपटान करने की अनुमति दी जाएगी । नामिकायन की इच्छुक एजेन्सियां सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण को निम्नलिखित दस्तावेज़ों के साथ आवेदन कर सकती हैः-

1. संलग्न आवेदन फॉर्मेट के अनुसार एजेन्सी का प्रोफाइल (एजेन्सी को अपने पत्र शीर्ष पर प्रोफॉर्मा में आवेदन करना है)।

..............2/-

2. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमाणपत्र संबंधित राज्यों से प्रदूषण बोर्ड प्रमाणपत्र की वैध स्वप्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें उपर्युक्त कार्यों की प्रकृति का विवरण दिया गया हो ।

3. एमपीसीबी पासबुक / एसपीसीबी पासबुक पंजीकरण की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें कार्य की प्रकृति का उल्लेख हो ।

4. जीएसटी पंजीकरण, पैन कार्ड, टिन (TIN) पंजीकरण की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां ।

5. 1,000/- रू. वार्षिक पंजीकरण प्रभार तथा 20,000/- रू. प्रतिभूति जमा (प्रतिदेय) का भुगतान करना होगा । तथापि, यूनिटों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे एजेन्सी के आचरण के संबंध में बंधपत्र दें । सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण निधि के पक्ष में आहरित डिमाड ड्राफ्ट के जरिए उक्त राशि का भुगतान किया जाए ।

6. सीप्ज़ - सेज़ में पंजीकरण की वैधता वार्षिक आधार पर अथवा एमपीसीबी की वैधता इनमें से जो पहले हो, तक रहेगी ।

7. सीप्ज़ किसी विलंब अथवा दस्तावेज़ों के खोने / पोस्ट / कूरियर आदि के लिए जिम्मेदार नही होगा ।

8. सीप्ज़ को पॉलिसी में दी गई शर्तों, प्रक्रियाओं, अपेक्षाओं, मूल्यांकन विधियों को हटाने, आशोधित करने, संशोधित करने का अधिकार है ।

9. सक्षम प्राधिकारी, सीप्ज़ के पास वेंडर के असंतोषजनक निष्पादन अथवा आवेदन में दी गई गलत सूचना/घोषणा देने अथवा किसी वेंडर के कामकाज अथवा उसेक कदाचार के संबंध में सेज़ यूनिटों से शिकायत प्राप्त होने के आधार पर आवेदन रोकने का अधिकार सुरक्षित है ।

10. जिन विक्रेताओं को कभी अस्वीकृत किया गया है/जिनको काली सूची में डाला गया है, वे पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे ।

11. डीजीएफटी से आयात लाइसेन्स रखने वाले पात्र वेंडरों / आयातकों को भी विनिर्दिष्ट ई-अपशिष्ट तथा मात्रा के लिए डीटीए में आयात करने की अनुमति दी जाएगी ।

12. आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड अथवा उसके विरूद्ध कोई मामला लंबित न हो तथा यदि, सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के साथ नामिकागत रहने की अवधि के दौरान यह पाया जाता है, तो सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण को विक्रेता के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने तथा नामिका को समाप्त करने/काली सूची में उसका नाम डालने का अधिकार होगा । अतएव, नामिकायन के इच्छुक वेंडरों को आपराधिक रिकॉर्ड न रखने का प्रमाणपत्र विधिवत नोटरीकृत 100/- रू. के गैर न्यायिक स्टैंप पेपर पर प्रस्तुत करना होगा ।

13. आवेदनों के प्राप्त होने पर यह सूची समय - समय पर अद्यतन की जाएगी ।

14. नामिकायन की वैधता प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमाणपत्र की सहविस्तारी होगी तथा इस संबंध में, कोई अलग पत्राचार नहीं किया जाएगा ।

(महेश यादव)
प्रबंधक(संपदा) / उविआ
सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण

प्रतिलिपिः-

1. महाराष्ट्र में स्थित सभी सेज़ गोवा, दमण, दीव तथा नगर हवेली
2. विनिर्दिष्ट अधिकारी, सीप्ज़-सेज़
3. विकास आयुक्त कार्यालय के अधीन सभी यूनिट तथा जनोपयोगी सेवाएं
4. सुरक्षा अनुभाग, सीप्ज़-सेज़
5. अभीक्षक, सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण
6. आइटी अनुभाग - उक्त पॉलिसी सीप्ज़ के वेबसाइट www.seepz.gov.in पर अपलोड़ की जाए ।

<u>विक्रेताओं के पंजीकरण के लिए प्रोफाइल फॉर्मेट</u>

प्रतिष्ठान का नामः

नियोक्ता का नाम तथा पताः

टेलीफोन तथा मोबाइल नं.

व्यवसाय की प्रकृतिः

फैक्स नं.

ई-मेल पताः

पंजीकरण संख्याः

एमपीसीबी अथवा अन्य किसी राज्य का लाइसेन्स नंबरः

एमपीसीबी की वैधता अवधि

पैन नं.

जीएसटी पंजीकरण संख्याः

जारी करने की तारीख

मूल्यवर्धित कर के अधीन टिन नं.

गैरअपराधी होने का प्रमाणपत्रः

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA,
सीप्ज़- सेज़प्राधिकरण/ SEEPZ SEZ AUTHORITY,
वणिज्य और उद्योग मंत्रालय, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400 096. ANDHERI (EAST), MUMBAI – 400096
Tel: 022-28294770/28294750, Fax: 022-28291754
E-mail: dcseepz-mah@nic.in, Website: www.seepz.gov.in

सत्यमेव जयते

******

Public Notice No. 04 Dated 30.01.2018

SEEPZ-SEZ/EMS/ E-waste/partfile/Vol-/V/2065/2187/88/89/90/91 Dated 30.01.2018

Sub: Empanelment of agencies for disposal of e-waste/lead acid batteries/sludge through septic tank/gutter waste containing non-toxic heavy metals.

In Supersession to the Circular no 17 dated 27.10.2017 on the above subject, the followinginstructions are issued:-

The SEZ units located in the State of Maharashtra, Goa and Union Territory of Daman, Diu and Nagar Haveli can dispose of e-waste/lead acid batteries/ sludge through septic tank/gutter waste containing non-toxic heavy metals, through any of the agencies empanelled with the SEEPZ-SEZ Authority. The name of agencies empanelled will be notified by way of public notice, a copy of which will be hosted on the website for information of all concerned. The SEZ Units shall be at liberty to assign any of the above described items to any of the empanelled vendors and shall be free to finalize all terms and conditions as per their disposal policy so long as they do not breach any of the provisions of SEZ Act/Rules or Customs Act/Rules/provisions or any other applicable law provisions.

The disposal of the above- mentioned waste need to be in accordance with the norms prescribed by the respective State/Union Territory Administration Pollution Control Board. Therefore it is hereby informed that only agencies empanelled with the SEEPZ-SEZ Authority would be allowed to dispose of the above-mentioned waste from the Zone. The agencies interested in empanelment may apply to the SEEPZ-SEZ Authority enclosing the following documents:-

1. Profile of the Agency as per attached application format. (The Agency shall provide the proforma on their letterhead)

..............2/-

2. A self certified copy of the valid Maharashtra Pollution Control Board Certificate or Pollution Control Board Certificate from respective states mentioning the above mentioned nature of work.

3. A self certified copy of the MPCB Pass Book/SPCB Pass Book Registration mentioning the nature of work

4. A self certified copy of the GST Registration, Pan card, TIN Registration.

5. Yearly registration charges to be charged for registration of Rs. 1,000/- & security deposit of Rs. 20,000/-(Refundable). However it will be the responsibility of the units to give an Undertaking regarding conduct of the agency. The demand draft to be paid should be drawn in favour of SEEPZ SEZ Authority Fund.

6. The validity of registration with SEEPZ SEZ will be on yearly basis or till the validity of MPCB whichever is earlier.

7. SEEPZ will not take any responsibility for delay/loss of documents speed post/ courier etc.

8. SEEPZ reserved the right to delete, modify, revise the condition procedures requirement, evaluation methodologies given in this policy at any stage.

9. The Competent Authority SEEPZ reserved the right to with hold any application on the ground of unsatisfactory performance of the vendor or for furnishing false information/declaration in the application, or if complaints are received from the SEZ units regarding the working or and misconduct of any vendor.

10. Black list vendor will not be eligible to apply for the registration once rejected or blacklisted.

11. The eligible vendors/importers having import licence from DGFT will also be allowed to import in DTA for the specified E-waste and quantity.

12. The applicant shall not have any criminal records or case pending against him and if found during the period of empanelment SEEPZ SEZ Authority has all the rights to take punitive action and terminate/blacklist the vendor. Hence vendor desirous of empanelment will furnish an Affidavit duly notarized on Rs. 100/- non-judicial stamp paper of non-criminal certificate.

13. The list will be updated from time to time on receipt of the applications.

14. The validity of empanelment will be co-terminus with the validity of Pollution Control Board Certificate and there shall be no separate communication for the same.

(Mahesh Yadav)
Manager (Estate)/DDC,
SEEPZ-SEZ Authority

Copy to: 1.All SEZs in Maharashtra, Goa, Daman, Diu and Nagar Haveli

2.Specified Officer, SEEPZ-SEZ

3.All units & Public Utilities under DC office

4.Security Officer, SEEPZ-SEZ

5.Caretaker, SEEPZ-SEZ

6.IT Section - Host the above policy in our SEEPZ web site "www.seepz.gov.in"

Profile format for the registration vendor

Name of the Establishment:-

Name and address of the Employer:

Telephone/Mobile no.:-

Nature of the Business:-

Fax no.:-

E-mail address:

Registration no.:-

MPCB or any other state license no.:

MPCB validity period:-

PAN no.:-

GST Registration no.:

Date of issue:-

TIN under value added Tax:

Non-criminal Certificate